## न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर
(आर॰ए॰एस॰)

मुकदमा नम्बर 45 / 2019 — दायर दिनांक–19–03–2019

1. रोहिताश कुमार पुत्र स्व. रामस्वरूप उम्र 16 वर्ष जरिये संरक्षक दादी मोहनी देवी पत्नी स्व. श्री भागीरथ उम्र 70 वर्ष जाति जाट निवासी बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज॰)
2. मोहनी देवी पत्नी स्व. श्री भागीरथ उम्र 70 वर्ष जाति जाट निवासी बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज॰)

– वादीगण

**बनाम**

1. श्रीमती सुमन देवी पत्नी स्व. श्री रामस्वरूप जाति जाट उम्र 42 वर्ष निवासी नामालुम (गुमशुदा)।

1. सुगन सिंह पुत्र श्री रामकुंवार उम्र 45 वर्ष जाति जाट निवासी बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं
2. सुलतान सिंह पुत्र श्री लादुराम उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज॰)
3. हरलाल सिंह पुत्र श्री लादुराम उम्र 53 वर्ष जाति जाट निवासी बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज॰)
4. बनवारी पुत्र श्री लादुराम उम्र 60 वर्ष जाति जाट निवासी बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज॰)
5. भूमि धारक जरिये (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार, नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज॰)

**–प्रतिवादीगण**

**वकील वादी : – श्री सज्जन कुमार चाहर**
**वकील प्रति॰ नं॰ :– श्री जयपाल सिंह**

**दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा, घोषणार्थ,**
**रिकॉर्ड दुरूस्तीकरण**

### –:: निर्णय ::–

**दिनांक– 12–08–2022**

वाद वादी ने एक वाद इस कदर पेश किया कि वाके ग्राम बसावा पटवार हल्का बसावा की सरहद में स्थित खाता संख्या नया 488 पुराना 435 के अन्तर्गत भूमि खसरानम्बर 1117 रकबा 2.4600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1136 रकबा 0.8900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1215 रकबा 0.6000 हैक्टर, खसरा नम्बर 1455 / 1115 रकबा 0.1300 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 4.0800 हैक्टर स्थित है उक्त भूमि को आगे वाद–पत्र में विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

उपरोक्त भूमि पूर्व में भागीरथ के नाम से [illegible] ही इस पर कब्जा–काश्त था, भागीरथ के फौत होने पर उपरोक्त कृषि भूमि का नामान्तरण भागी[illegible] के [illegible] नाम से 1 / 2 हिस्सा व भागीरथ की पत्नी मोहनी देवी के नाम 1 / [illegible] कर दिया गया। भागीरथ के पुत्र रामस्वरूप के फौत होने पर रामस्वरूप के [illegible] की राजस्व रिकॉर्ड राम[illegible] की पत्नी सुमन देवी का हिस्सा 1 / 4 व रामस्वरूप के पुत्र रोहिताश हिस्[illegible] 1 / 4 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। मोहनी देवी ने खसरा नम्बर 1117 रकबा 2.46 हैक्टर व 1136 रकबा 0.89 हैक्टर में अपने 1 / 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 12:59:11 IST
Reason: SelfAttested



ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

हिस्से में से 0.45 हैक्टर भूमि सुगन सिंह पुत्र रामकुमार, सुलतान सिंह पुत्र लादुराम, हरलाल पुत्र लादुराम, बनावारी लाल पुत्र लादुराम के पक्ष में विक्रय–पत्र तस्दीक करवा दिया, जो कि सही व सत्य है।

सुमन देवी पत्नी स्व. रामस्वरूप आज से करीब 10 वर्ष पूर्व घर से लापता हो चुकी थी, जिसकी काफी खोजबीन व तलाशी करने पर भी कोई पता नहीं चला है। सुमन देवी का एकमात्र वारीस रोहिताश है, विधि के अनुसार जब किसी व्यक्ति को लापता हुए 7 वर्ष से अधिक का समय हो चुका हो, और तमाम कोशिश के बावजुद उसके जीवित होने व कहीं पर मौजूद होने का कोई सबूत नहीं मिलने पर उसके हिस्से की सम्पति उसके विधिक वारीसानों के नाम से स्थानान्तरण की जा सकती है। इसलिए उपरोक्त खसरा नम्बरान् की भूमि में सुमन देवी के 1/4 हिस्से की भूमि का नामान्तकरण राजस्व रिकॉर्ड में उसके विधिक वारीस वादी रोहिताश के पक्ष में दर्ज करने की घोषणा किये जाने के लिए उक्त वाद–पत्र स्थाई निषेधाज्ञा व घोषनार्थ, रिकॉर्ड दुरूस्ती का श्रीमान्जी की सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ है।

वाद–पत्र की मद संख्या 1 में दर्ज ग्राम बसावा पटवार हल्का बसावा के सरहद में स्थित खाता संख्या नया 488 पुराना 435 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1117 रकबा 2.4600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1136 रकबा 0.8900 हैक्टर, खसरा नम्बर 2.4600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1136 रकबा 0.8900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1215 रकबा 0.6000 हैक्टर, खसरा नम्बर 1455/1155 रकबा 0.1300 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 4.0800 हैक्टर में से सुमन देवी के 1/4 हिस्से के स्थान पर वादी रोहिताश उसके 1/4 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जावे, तथा मौके पर वादी रोहिताश का ही कब्जा व काश्त है, इसलिए उक्त वाद घोषनार्थ, रिकॉर्ड दुरूस्ती का श्रीमान् जी की सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त राजस्व रिकार्ड दुरूस्त नही होने के कारण प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 5 ने पूर्व में उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि में से 0.45 हैक्टर भूमि क्रय कर ली है, जो कि प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 5 राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ करके सुमन देवी का मौके पर मौजूद नहीं होने का फायदा उठाकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सुमन देवी के हिस्से की भूमि हडप करने की फिराक में है, तथा प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 5 वादी को दिनांक 10.06.2019 को धमकी दी है, कि राजस्व रिकार्ड सुमन देवी के नाम से है, जो कि हम फर्जी दस्तावेज तैयार करके राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ करके अपने नाम से विक्रय–पत्र पंजीबद्ध करवा लेगें, और तुम्हे सुमन देवी के हिस्से से बेदखल कर देंगे। अगर प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 5 अपनी नाजायम मंशा में सफल हो गया तो वादी को इतना नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में सम्भव नहीं होगी। वादी का प्रथम दृष्ट्या मामला है, तथा सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में है, इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

वाद–पत्र में प्रतिवादी नम्बर 6 को भी पक्षकार बनाया गया है, जो कि लोक सेवक है, जिसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस् दिया जाता है, परन्तु वाद अर्जेन्ट नेचर का है, अगर वादी दो माह का नोटिस् देकर वाद प्रस्तुत करता है, तो वादी का वाद पेश करना ही व्यर्थ हो जायेगा, इसलिए 80(2)सीपीसी का प्रार्थना–पत्र अलग से श्रीमान्जी की सेवामें प्रस्तुत है। उक्त वाद के लिए वादकारण दिनांक 10.03.2019 को धमकी देने के रोज, व दिनांक 15.03.2019 को उक्त कृषि भूमि की नकल जमाबन्दी प्राप्त करने के रोज श्रीमान्जी के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ।

वादी रोहिताश की उम्र 16 वर्ष है, जो कि नाबालिग है, जिसकी संरक्षक एकमात्र दादी मोहनी देवी है, इसलिए उक्त वाद जरिये संरक्षकदारी मोहनी देवी के द्वारा श्रीमान्जी की सेवामें प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादीगण द्वारा वाद–पत्र के माध्य से अनुतोष चाहा है कि ग्राम बसावा पटवार हल्का बसावा की सरहद में स्थित खाता संख्या नया 488 पुराना 435 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1117 रकबा 2.4600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1136 रकबा 0.8900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1215 रकबा 0.6000 हैक्टर, खसरा नम्बर 1455/1115 रकबा 0.1300 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 4.0800 हैक्टर में से सुमन देवी का हिस्सा 1/4 के स्थान पर वादी रोहिताश का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे, इस प्रकार वादी रोहिताश व सुमन देवी दोनों का सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 + 1/4 यानि सम्पूर्ण भूमि में से 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जावे तथा प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि जब तक रिकॉर्ड दुरूस्त नहीं होता है, तब तक वादी के कब्जे काश्त् में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न तो स्वयं

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 12:39:11 IST
Reason: SelfAttested



ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

पैदा करें, ना ही विक्रय करें, ना ही रहन रखें, ना ही निर्माण कार्य करें, ना ही राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं करे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें ना ही अपने आदमियों, नौकर–चाकर आदि से करावें, तथा प्रतिवादी नम्बर 6 को आदेशित किया जावे कि उक्त भूमि का विक्रय–पत्र, गिफ्ट डीड, नामान्तरण आदि तस्दीक नहीं करें। मौके व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनायें रखे। अन्य सिद्धि जो चाही जाने से रह गई हो, और वादी के हक में पडती हो, वादी को दिलायी जावे।

वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से वकील श्री जयपाल सिंह उपस्थित हो वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 01 गुमशुदा लापता होने से इनकी तलबी नही हो पाई। प्रतिवादी संख्या 6 बावजूद तामिल के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 की ओर से इकबालिया जबाब दावा पेश कर वादी के वाद–पत्र को स्वीकार किया गया तथा कथन किया कि सुमन देवी आज से करीब 15 वर्ष पहले लापता हो गई थी जो आज तक नहीं मिली है। सुमन देवी का राजस्व रिकॉर्ड में 1/4 हिस्सा है। जो सुमन देवी का एक मात्र वारिश रोहिताश कुमार उर्फ मुकेश दूत है। सुमन देवी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में हजब कर के सुमन देवी का सम्पूर्ण हिस्सा रोहिताश कुमार उर्फ मुकेश दूत के नाम किया जावें तो हम प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 5 को कोई किसी प्रकार कि आपत्ति नही है।

जवाब देही पेश होने पर प्रकरण एक पक्षीय होने से एवं प्रतिवादीगणों द्वारा कोई प्रतिरक्षा प्रस्तुत नही करने पर प्रकरण में तनकीयात कायम की जानी आवश्यक नही है। शहादत वादी ली गई। शहादत वादी में वादिनी मोहनी देवी, वादी रोहिताश उपस्थित हो अपने मुख्य परीक्षण के शपथ–पत्र पेश किये तथा वादीगण ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात् प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 पेश किया गया।

शहादत प्रस्तुत होने पर बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2067–2070 जो प्रदर्श–1 है जिसमें विवादित भूमि ग्राम बसावा पटवार हल्का बसावा की सरहद में स्थित खाता संख्या नया 488 पुराना 435 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1117 रकबा 2.4600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1136 रकबा 0.8900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1215 रकबा 0.6000 हैक्टर, खसरा नम्बर 1455/1115 रकबा 0.1300 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 4.0800 हैक्टर होना प्रमाणित है। उपरोक्त भूमि पूर्व में भागीरथ के नाम से दर्ज थी, भागीरथ के फौत होने पर विवादग्रस्त कृषि भूमि का नामान्तरण भागीरथ के पुत्र रामस्वरूप के नाम से 1/2 हिस्सा व भागीरथ की पत्नी मोहनी देवी के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। भागीरथ के पुत्र रामस्वरूप के फौत होने पर रामस्वरूप के हिस्से 1/2 की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड रामस्वरूप की पत्नी सुमन देवी का हिस्सा 1/4 व रामस्वरूप के पुत्र रोहिताश हिस्सा 1/4 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। मोहनी देवी ने खसरा नम्बर 1117 रकबा 2.46 हैक्टर व 1136 रकबा 0.89 हैक्टर में अपने 1/2 हिस्से में से 0.45 हैक्टर भूमि सुगन सिंह पुत्र रामकुमार, सुलतान सिंह पुत्र लादुराम, हरलाल पुत्र लादुराम, बनावारी लाल पुत्र लादुराम के पक्ष में विक्रय–पत्र तस्दीक करवा करवा दी गई जो प्रदर्श–1 जमाबंदी में मे नामान्तरकरण संख्या 1717 दिनांक 06.09.13 का अंकित नोट से प्रमाणित होता है। सुमन देवी पत्नी स्व. रामस्वरूप करीब 10 वर्ष पूर्व से लापता हो चुकी थी, जिसके संबंध मे वादी द्वारा उप पुलिस अधीक्षक वृत्त नवलगढ़ के पत्रांक/2948 दिनांक 25.07.2022 के द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार पत्र में अंकित किया गया कि एमपीआर नम्बर 07/201 पुलिस थाना नवलगढ की प्रति, गुमशुदा सुमन देवी की फर्द, [illegible] सुमन देवी व विनोद कुमार द्वारा पेश रिपोर्ट बाबत एमपीआर बन्द करने की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत [illegible] है [illegible] अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि सुमन देवी की गुमशुदा की एफआईआर रिपोर्ट [illegible] सुमन नही पाई जाने की रिपोर्ट से प्रमाणित होता है। सुमन देवी तकरीबन 15 वर्ष से [illegible] जिसका आज तक कोई पता एवं कोई जानकारी नही हुई है। चूंकि सुमन देवी का एकमात्र वारीस रोहिताश [illegible]सलिए वादग्रस्त खसरा नम्बरान् की भूमि में सुमन देवी के 1/4 हिस्से की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में उसके विधिक वारीस वादी रोहिताश के पक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 12:39:11 IST
Reason: SelfAttested



ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ़

में दर्ज करने की घोषणा किया जाना उचित उचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित एवं उचित होने से स्वीकार किया जाता है।

**:: आदेश ::**

उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बसावा की सरहद में स्थित खाता संख्या नया 488 पुराना 435 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1117 रकबा 2.4600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1136 रकबा 0.8900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1215 रकबा 0.6000 हैक्टर, खसरा नम्बर 1455/1115 रकबा 0.1300 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 4.0800 हैक्टर में से सुमन देवी का हिस्सा 1/4 के स्थान पर वादी रोहिताश के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस प्रकार वादी रोहिताश व सुमन देवी दोनों का सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 + 1/4 यानि सम्पूर्ण भूमि में से 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में वादी रोहिताश के नाम दर्ज किये किया जावे। तथा प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है की वादी रोहिताश की कब्जे काश्त एवं घोषित खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी एवं उपयोग–उपभोग में बाधा नही करे। तहसीलदार नवलगढ मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक **12.08.2022** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( दमयंती कंवर )
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रै.) नवलगढ़

नोट:- आदेश दिनांक 28/2/23 के अनुसरण में न्यायालय का निर्णय दिनांक 12/8/2022 में वादी नं.1 का नाम रोहिताश के स्थान पर रोहिताश उर्फ मुकेश दूत दुरुस्त किया जाता है। निर्णय में वादी नं. 1 का नाम रोहिताश उर्फ मुकेश दूत पढ़ा जावे।

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रै.) नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 12:59:11 IST
Reason: SelfAttested

( ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी )
**अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़**
**मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) नवलगढ़**

**दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा, घोषणार्थ,**
**रिकॉर्ड दुरूस्तीकरण**

मुकदमा सं0:– 45/2019 **( रोहिताश आदि बनाम सुमन आदि )**

**पर्चा–डिक्री**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 12.08.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम बसावा की सरहद में स्थित खाता संख्या नया 488 पुराना 435 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1117 रकबा 2.4600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1136 रकबा 0.8900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1215 रकबा 0.6000 हैक्टर, खसरा नम्बर 1455/1115 रकबा 0.1300 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 4.0800 हैक्टर में से सुमन देवी का हिस्सा 1/4 के स्थान पर वादी रोहिताश के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस प्रकार वादी रोहिताश व सुमन देवी दोनों का सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 + 1/4 यानि सम्पूर्ण भूमि में से 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में वादी रोहिताश के नाम दर्ज किये किया जावे। तथा प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है की वादी रोहिताश की कब्जे काश्त एवं घोषित खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी एवं उपयोग–उपभोग में बाधा नही करे। तहसीलदार नवलगढ मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 12.08.2022 को जारी की गई।

( दमयंती कंवर )
ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ
ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ
**मोहर**

| मुद्दई | रूपया पैसे | मुद्दासलह | रूपये पैसे |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 04.00 | स्टाम्प अर्जी दावा | 0.00 |
| वकालतनामा स्टाम्प | 02.00 | स्टाम्प वकालतनामा | 0.00 |
| स्टाम्प वजह सबूत | – | स्टाम्प अर्जी | – |
| महनताना वकील | – | महनताना वकील | – |
| खर्चा गवाहान | – | खर्चा गवाहान | – |
| फीस कमिश्नर | – | फीस कमिश्नर | – |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | – | बाबत इजराय हुक्मनामा | – |
| मुतफरिक मिजान | 08.00 | मुतफरिक मिजान | 0.00 |
| कुल | 14.00 | | 0.00 |

नोट– आदेश दिनांक 28/5/23 के [illegible] डिक्री दिनांक 12/8/22 में वादी का [illegible] जगह रोहिताश उर्फ मुकेश [illegible] किया जाता है। वादी का नाम रोहिताश उर्फ मुकेश पुत्र पढ़ा जावे।

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 12:59:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय A.C.E.M महोदय नवलगढ़

रोहिताश आदि vs सुमन आदि

दावा :- घोषणार्थ दुरुस्ती रिकार्ड

मु०न० 45/2019

फैसला दिनांक
12/8/2022

विषय :- निर्णय दिनांक 12/8/2022 मे नाम शुद्ध करने बाबत।
द० धारा 152 C.P.C

महोदय,

उपरोक्त मुनवानी प्रकरण मे श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 12/8/2022 को फैसला किया जा चुका है सहवन से निर्णय मे वादी का नाम रोहिताश लिख दिया गया है जबकि वादी का वास्तविक नाम मुकेशकुमार है एवं वादी के समस्त दस्तावेजो एवं जमाबन्दी खाता संख्या नया 601 एवं जमाबन्दी खाता संख्या नया 600 मे भी वादी का वास्तविक नाम मुकेशकुमार ही दर्ज है

अतः नाम शुद्धी करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश [illegible] निवेदन है की निर्णय दिनांक 12/8/2022 मे नाम रोहिताश उर्फ मुकेशकुमार दुरुस्त करने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 12:59:11 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक
16/9/2022

प्रार्थी
रोहिताश उर्फ मुकेशकुमार
पुत्र रामस्वरूप
जाति - जाट
निवासी - बलौदा

| आदेश | कार्यवाही विवरण<br><br>**रोहिताश उर्फ मुकेश दूत बनाम सुमन आदि।**<br>**प्रकरण संख्या 45/2019** | अनुपालना के क्रमांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 28.02.23 | वकील वादी एवं वादी स्वयं द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 45/2019 में दिनांक 12/8/2022 को निर्णय पारित किया गया जिमसे वाद–पत्र मे सहवन से वादी का नाम रोहिताश लिखा गया है जबकि वादी का सही नाम रोहिताश उर्फ मुकेश दूत है। निर्णय में वाद–पत्र अनुसार की रोहिताश लिखा जाकर निर्णय पारित किया जा चुका है। नाम में त्रुटि होने से निर्णय की पालना किये जाने में दिकत आ रही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी स्वीकार कर वाद–पत्र में दर्ज नाम के स्थान पर निर्णय में रोहिताश उर्फ मुकेश दूत संशोधित करने की कृपा करे।<br><br>प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड एवं नई जमाबंदी मे वादी का नाम रोहिताश के स्थान पर मुकेश दूत दर्ज है। वादी का नाम सही मुकेश दूत है। निर्णय में रोहिताश के स्थान पर रोहिताश उर्फ मुकेश दूत दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि निर्णय में रोहिताश नाम दर्ज होने से निर्णय की पालना सुनिश्चित नही हो रही है। फलस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित होने से स्वीकार किया जाता है। तथा निर्णय दिनांक 12/08/2022 में वादी का नाम रोहिताश के स्थान पर रोहिताश उर्फ मुकेश दूत दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। यह आदेश निर्णय दिनांक 12/08/2022 का अभिन्न भाग रहेगा। निर्णय व डिक्री दिनांक 12/08/2022 में लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखित दफतर हो।<br><br>ए.सी.ई.एम. (का...)<br>नवलगढ़ | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 12:59:11 IST
Reason: SelfAttested